अनिल कुमार प्रमुख सचिव		अ0शा0प0सं0- 1617 /81-1-2025 उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः: 06 दिसम्बर, 2025

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय वन सेवा के प्रभागीय निदेशक स्तर (लेवल-10/11/12/13) के अधिकारियों की नितांत कमी है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य में वानिकी एवं वन्यजीव सम्बन्धी कार्यों में प्रायः व्यवधान उत्पन्न होता है।

2- उल्लेखनीय है कि अंतसंर्वर्गीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में आईएफएस (कैडर) रूल्स 1966 के नियम-6(1) में निम्न प्राविधान किये गये है-

"A cadre officer may, with concurrence of the State Governments concerned and the Central Government, be deputed for service under the Central Government or another State Government or under a company, association, of body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government of by another State Government."

उक्त प्राविधान के क्रम में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-13017/28/2022-AIS.I, दिनांक 15.11.2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

3- भारत सरकार के उक्त प्राविधानों के आलोक में उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय वन सेवा के प्रभागीय निदेशक स्तर (लेवल-10/11/12/13) के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु समस्त राज्यों से अनुरोध किया जाय।

4- अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि आपके राज्य में तैनात प्रभागीय निदेशक स्तर (लेवल-10/11/12/13) के भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु वांछित समस्त अभिलेखों सहित विवरण उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के सम्बन्ध में कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 05-12-2025
14:10:17

(अनिल कुमार)

मुख्य सचिव,
समस्त राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश।

CS (Busy)

Secy./CS

Services-II Branch
Diary No 150268
12/12/25

संख्या-1617 (01)/81-1-2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, समस्त राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, समस्त राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव।